कार्यालय, अंचल अधिकारी, कोडरमा।

मो0 आरिफ अंसारी,
वास्ते जगन मियां
ग्राम– असना, झु0 ति0,
जिला–कोडरमा।

विविध वाद सं0 17/2016–17

01/8/16 आवेदक मो0 आरिफ अंसारी, ग्राम असना, झु0 ति0, जिला कोडरमा के द्वारा आवेदन दिया गया है कि मौजा असना, थाना नं0 245, खाता नं0 94, प्लॉटों का रकवा 0.53 एकड भूमि का लगान रसीद पंजी ।। के पृष्ठ सं0 65/6 में जगन मियां पिता हुसैन मियां के नाम से कटते चला आ रहा है। वर्ष 2006–07 का लगान रसीद संलग्न है। पंजी ।। फटा होने के कारण राजस्व कर्मचारी के द्वारा मालगुजारी रसीद निर्गत नहीं किया जा रहा है। उक्त जमीन का अद्यतन मालगुजारी रसीद निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है। अतएव उक्त भूमि के संबंध में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जॉच प्रतिवेदन की मांग करें।

अभिलेख दिनांक 22/8/16 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
कोडरमा ।

22/8/16 3/9/16 अभिलेख उपस्थापित।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉच कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा असना, थाना नं0 245 के चालु पंजी ।। के पृष्ठ सं0 36A/6 पर खाता नं0 94, रकवा 0.53 एकड भूमि की जमाबन्दी से संबंधित पंजी ।। वर्षों पुराना होने के कारण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। जिस कारण जमाबन्दी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। आवेदक के द्वारा लगान रसीद 0004495 दि0 12.07.06 की छायाप्रति संलग्न किया गया हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि का जमाबन्दी पंजी ।। के पृष्ठ सं0 36A/6 में जमाबन्दी दर्ज था। उक्त लगान रसीद को रसीद भन्डार पंजी से मिलान करने पर भन्डार पंजी में दर्ज पाया गया।

स्थल जांच के कम में मो0 सज्जाद पिता अब्दुल रहमान, मो0 इफतेबार पिता स्व जाफर अली, मो0 हासीम पिता स्व0 नूर मोहम्मद, मुर्शिद आलम पिता स्व0 खुर्शिद आलम, मो0 वकली पिता मो0 खलील से पुछताछ की गई। इनके द्वारा बताया गया कि उक्त जमीन पर जमाबन्दीधारक का दखल कब्जा है। किसी के द्वारा आपति दर्ज नहीं कराया गया है। आवेदक द्वारा 0.53 ए0 भूमि का रसीद संलग्न किया गया है, जिसका लगान रसीद कटवाने हेतु आवेदन दिया गया है।

Scanned with CamScanner

उल्लेखनीय है कि फटे हुये पंजी II का नया जमाबन्दी खोलने हेतु अपर समाहर्त्ता, कोडरमा के आदेश ज्ञापांक 140/रा0 दिनांक 02.02.16 से दिशा निर्देश प्राप्त है।

राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर अंचल अमीन के मापी प्रतिवेदन के अनुसार खाता नं0 94 प्लॉट नं0 2165, 2166, 2167, 2180, रकवा 0.53 ए0 भूमि पर मो0 आरिफ अंसारी का दावा स्पष्ट है। राजस्व अभिलेखों की त्रुटि के लिए रैयत के हित को प्रभावित किया जाना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। राजस्व हित में संबंधित भू-भाग से राजस्व की वसूली राज्य हित में है। ऐसे मामले में अपर समाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा जमाबन्दी कायम करने का आदेश प्राप्त है।

अतः उपर्युक्त के आलोक में मौजा असना, थाना नं0 245, खाता नं0 94, प्लॉट नं0 , रकवा 0.53 एकड भूमि की जमाबन्दी जमाबंदीधारक जगन मियां पिता हुसैनी मियां के नाम से कायम करने का आदेश दिया जाता है। संबंधित राजस्व कर्मचारी अनुपालन प्रतिवेदन एक पक्ष के अन्दर प्रस्तुत करें।

अंचल अधिकारी,
कोडरमा ।

Scanned with CamScanner